अपील सूचना अधिकार संख्या 34/2020 (RCMS 2020/00049) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवसी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्टल ऑर्डर नं. 46एफ/988787) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने दिनांक 30.12.2019 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दस बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो उनके उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित की जाकर, प्रार्थी को हर्जाना दिलवाया जावे और निःशुल्क सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की हैं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 30.12.2019 से निम्न सूचना चाही थी :

1. प्रार्थी के पत्रांक दिनांकित 19.12.19 के आपके कार्यालय में पहुचने की दिनांक व आरआर नम्बर की व दिनांक की सूचना।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.12.2019 तक प्रार्थी के पत्रांक पर जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. लोक सेवा गांरटी अधिनियम में प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

6. प्रार्थी के पत्रांक पर अतिंम निर्णय लेने में लगने वाले समय की सूचना।
7. 1 जनवरी 20199 से लेकर दिनांक 30.12.2019 तक प्रार्थी के प्रकरण में की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
8. 01 जनवरी 2019 से 30.12.19 तक जि–जिन कर्मकारो व अधिकारियों ने जो–जो कार्यवाही प्रकरण के निपटारे हेतु की उनका नाम व पद की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति, कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. प्रार्थी के प्रकरण पर 1 जनवरी से लेकर 30.12.2019 तक कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
10. प्रार्थी के प्रकरण में लगने वाले समय जिसमें अतिंम रूप से निपटारा किया जा सके।

उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 06 दिनांक 10.02.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया हैः

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	प्रार्थी के पत्रांक दिनांकित 19.12.19 के आपके कार्यालय में पहुचने की दिनांक व आरआर नम्बर की दिनांक की सूचना।	प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 01.12.2019 इस कार्यालय में दिनांक 19.12.2019 को प्राप्त हुआ।
2	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना।	पत्र मूल ही जिला पंजीयक श्रीगंगानगर को भेजा गया जिसकी फोटो प्रति संलग्न है

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3	पत्र पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	पत्र की प्रति संलग्न है जिसमें पद एव नाम अंकित है।
4	पत्र प्राप्ति से लेकर दिनांक 30.12.2019 तक प्रार्थी के पत्रांक पर जो–जो कार्यवाही जिस–जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही है
5	लोक सेवा गांरटी अधिनियम में प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही करने में लगने वाले समय की सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।	सूचना उपलब्ध नही है।
6	प्रार्थी के पत्रांक पर अतिंम निर्णय लेने में लगने वाले समय की सूचना।	सूचना उपलब्ध नही है।
7	1 जनवरी 20199 से लेकर दिनांक 30.12.2019 तक प्रार्थी के प्रकरण में की गयी कार्यवाही की सूचना।	पत्रों की फोटो प्रतियां सलंग्न है
8	एक जनवरी 2019 से 30.12.19 तक जिन–जिन कर्मकारो व अधिकारियों ने जो–जो कार्यवाही प्रकरण के निपटारे हेतु की उनका नाम व पद की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति, कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। प्रार्थी के प्रकरण पर 1 जनवरी से लेकर 30.12.2019 तक कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	पत्रों की फोटो प्रतियां संलग्न है।
9	प्रार्थी के प्रकरण पर 1 जनवरी से लेकर 30.12.2019 तक कार्यवाही न करने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना उपलब्ध नही हैं।
10	प्रार्थी के प्रकरण में लगने वाले समय जिसमें अतिंम रूप से निपटारा किया जा सके।	सूचना उपलब्ध नही है।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 7, 8 की सूचनाएं दी जा चुकी है और शेष सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात **दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर द्वारा जो दिनांक 10.02.20 से उत्तर दिया गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर